# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1088/2011**
खिलाडी राम मीणा

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. आयुक्त, मनरेगा, जयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, जयपुर।
3. मुख्य अधिशाषी अधिकारी सह जिला परिषद, अति. जिला परियोजना संयोजक, मनरेगा, जिला सवाईमाधोपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायती समिति, बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 24.11.2023

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने नोटिस दिनांक 20.07.2011 जारी किया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि नरेगा योजना की जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने के कारण उस समय पदस्थापित व्यक्तियों से संयुक्त रूप से वसूली की जाए एवं वसूली योग्य राशि 738531/–रूपये मानी गयी, जिसमें से अपीलार्थी जो तत्समय कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था, उससे 133500/–रूपये मय ब्याज वसूली के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी से वसूली के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1)डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत किया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द मे 01.4.2008 से 31.03.2011 तक हुए निर्माण कार्यों की विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति मे ही सम्पन्न हुई है। इसलिए अपीलार्थी का यह

कथन कि नैचूरल जस्टिस का वायलेसन किया गया जो पुर्णतया गलत और कपोलकल्पित है। कानून किसी भी कार्मिक को पदीय अनियमितता और पदीय दुरूपयोग की इजाजत नही देता है। अपीलार्थी ने पदीय दुरुपयोग कर राज्य के राजकोष को वित्तिय क्षति पहुंचाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो की घोर अवहेलना कर अनियमितताएं कारित किये जाने के कारण विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित वसुली के संबंध मे दिनांक 20.07.2011 को वसुली नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस बिना किसी दुर्भावना और दबाव के पारित किया गया है, जो पुर्णतया विधिक होने से तथा अपीलार्थी की उक्त अपील सारहीन तथ्यो पर आधारित और पोषणनीय नही होने से मय कोस्ट मय स्थगन आदेश के काबिल निरस्त योग्य है, जिसे निरस्त फरमाने का हुक्म प्रदान करावे।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने यह अंकित किया है कि जांच के दौरान अपीलार्थी स्वयं उपस्थित था। हम यह पाते हैं कि केवल मात्र जांच के समय उपस्थित रहने से प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों की पालना होना नहीं माना जा सकता। जांच की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो, यह प्रकट नहीं होता है। न्यायिक दृष्टांत 2013(1)डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में सम्बन्धित ग्राम सेवकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के आदेश दिये है।

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से वसूली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्याय्संगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।

6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**